

5

क्रमांक:प.14(4)/शिक्षा-1/जिला बाड़मेर/2014

जयपुर, दिनांक: - 20-10-14

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)/शिक्षा-1/जिला बाड़मेर/2014 दिनांक: 14.8.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न स्तरों यथा-राज्य सरकार, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदर्श विद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पृथक किये जाने आवश्यक हैं। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत संचालन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

पंचायत समिति का नाम: धोरीमन्ना

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	गुडामालानी	गुडामालानी	राउमावि गुडामालानी	राउप्रावि गुडामालानी	राउप्रावि गुडामालानी	मेगा हाईवे व चौराहा

पंचायत समिति का नाम: शिव

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	गिराब	गिराब	राउमावि गिराब	राप्रावि गिराब	राप्रावि गिराब	राजस्व गांव अलग-अलग में स्थित

पंचायत समिति का नाम: सिणधरी

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	कुडला	मगने की ढाणी	राउमावि मगने की ढाणी	राबाप्रावि मगने की ढाणी	राबाप्रावि मगने की ढाणी	वर्ष 2013 में खुला नवीन विद्यालय


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय
(अन्तरसिंह नेहरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।

4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलेक्टर
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा / प्रा.शि. (आयोजना) / शिक्षा (ग्रुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
17. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1)।
19. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक
20. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक (प्रथम / द्वितीय)
21. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव